भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग/CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064,
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064,

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2026/ 176 नवंबर 03, 2026

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय: गर्भावस्था में जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए ART(असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) से इलाज के बारे में स्पष्टीकरण-के संबध में।

Sub: Clarification for treatment through ART (Assisted Reproductive Technology) to prevent Genetic Disorder in Pregnancy-reg.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 02.11.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/12648 की एक प्रति पृष्ठांकित किए जाते हैं।

A copy of DAE Office Memorandum No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/12648 dtd. 02.11.2026 on the above subject. is endorsed herewith.

अमित 04/11/26
(Amit Kumar Chaudhary / अमित कुमार चौधरी)
सहा. कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer (CHSS)

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/ Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/ Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. उप लेखा नियंत्रक, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Controller of Accounts, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाऊन, कोलकाता-700163/ Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Officer-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Officer-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारीकल्याणसंगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association, VECC.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना
CONTRIBUTORY HEALTH SERVICE SCHEME

(☎022-22862703)
ईमेल-/e-mail-
uschss@dae.gov.in

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg
मुंबई Mumbai - 400 001

No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/ 12648

02 नवंबर November, 2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: गर्भावस्था में जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए ART (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) से इलाज के बारे में स्पष्टीकरण – के संबंध मे ।

Subject: Clarification for treatment through ART (Assisted Reproductive Technology) to prevent Genetic Disorder in Pregnancy – Reg.

उपर्युक्त विषय पर विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/10505 दिनांक 04/09/2026 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

Reference is invited to Department's OM No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/10505 dated 04/09/2026 on the captioned subject.

2. इस संबंध में, विभाग को 19.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2013/IR&W/2011 में उल्लिखित 'इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन' (IVF) उपचार की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। चूँकि 04.09.2026 के कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी' (ART) को CHSS नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

In this connection, reference has been received in the Department for clarification regarding admissibility of In-Vitro Fertilization (IVF) treatment stipulated in Department's OM No. 7/16/2013/IR&W/2011 dated 19.05.2014, since OM dated 04.09.2026 stipulates that Assisted Reproductive Technology (ART) is not covered under CHSS Rules.

3. दिनांक 04.09.2026 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी' (ART) फर्टिलिटी उपचारों की एक व्यापक श्रेणी है। इसमें इंट्रा-यूटेराइन इनसेमिनेशन (IUI), इंट्रासाइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI), इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर (GIFT), जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर (ZIFT), फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर (FET) और प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (PGT) आदि शामिल हैं। वर्तमान में, विभाग के 19.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत CHSS में केवल IVF शामिल है; ART की अन्य प्रक्रियाएं विभाग की CHSS योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं।

In continuation of the above referred OM dated 04.09.2026, it is clarified that Assisted Reproductive Technology (ART) is a broad category of fertility treatments including Intrauterine Insemination (IUI); Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI); In-Vitro Fertilization (IVF); Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT); Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT); Frozen Embryo Transfer (FET); Preimplantation Genetic Testing (PGT) etc. At present, only IVF is covered under CHSS vide Department's OM dated 19.05.2014 and other ART procedures are not covered under CHSS of the Department.

4. यह विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in the Department.

02.11.2026

(डॉ. राज कुमार झा/ Dr. Raj Kumar Jha)
अवर सचिव (सीएचएसएस) / Under Secretary (CHSS)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक इकाइयां
All CHSS Administering Authorities.